न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2754 सन 2025

CNR No. UPSP 01006652 2025

अब्दुल कादिर पुत्र नईम अहमद निवासी मौहल्ला फौलादपुरा सापला रोड कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 430/2026
धारा–318(4),316(2),351(3) बी0एन0एस0
थाना–देवबन्द , सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

10.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **अब्दुल कादिर** ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं के शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि वादी मौ0 फैय्याज द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत विपक्षी अब्दुल कादिर के विरूद्ध इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि करीब एक वर्ष पूर्व वादी द्वारा विपक्षी को ग्राम राजूपुर तहसील देवबन्द सहारनपुर में हिस्सेदारी में क्रय करने के बाबत 10,00,000/रू0 गवाहान के समक्ष दिये गये थे और दिनांक 17.09.2024 को उक्त सम्बन्ध में पक्षकारो के मध्य एक तहरीर याददाश्त लिखी गयी थी परन्तु इसके पश्चात विपक्षी द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार वादी को कोई धनराशि अदा न करने पर, वादी द्वारा धनराशि की अदायगी के सम्बन्ध में दबाव बनाये जाने पर विपक्षी द्वारा मात्र पचास हजार रूपये वादी की पुत्री के मोबाईल फोन पर ट्रान्सफर किये गये। विपक्षी द्वारा वादी को उसकी धनराशि अदा न करने पर थाना पर इस सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर एक फर्जी समझौता नामा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी के उक्त प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना पर यह अभियोग अभियुक्त अब्दुल कादिर के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उसे इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित धाराओ का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा दस लाख रूपये दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कागजी या मौखिक साक्ष्य वादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित नहीं किया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। पुलिस उसे इस मामले में गिरफतार कर जेल भेजना चाहती है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा नाजायज लाभ कमाने के आशय से वादी को साझेदारी में प्लाट क्रय करने का आश्वासन देकर उसे दस लाख रूपये प्राप्त कर हडपने व वादी को जान से मारने की धमकी देने के सन्दर्भ में थाना पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। केस डायरी में अंकित वादी द्वारा अपने बयान में

प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनो का समर्थन करते हुए वादी को गवाहान के समक्ष प्लाट क्रय करने के सम्बन्ध में दस लाख रूपये दिये जाने व वादी द्वारा उसके पैसे वापस न करने और उक्त सन्दर्भ में एक फर्जी समझौता नामा विपक्षी द्वारा तैयार किये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि कथित दस लाख रूपये अभियुक्त को वादी द्वारा प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में केस डायरी पर इस स्तर तक कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होना दर्शित नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय होने के बावजूद भी विवेचक द्वारा अभियुक्त को धारा–35(3)बी0एन0एस0 का नोटिस प्रदान नहीं किया गया है, जिससे प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की गिरफतारी की सम्भावना बनी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार–बार यह आदेशित किया जा रहा है कि सात वर्ष तक की सजा के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार एण्टिल बनाम् सी0बी0आई0 एवं अन्य** मामले में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त का अक्षरसः पालन किया जाये। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना अभिकथित नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को विवेचना पूर्ण होने तक की अवधि के लिए अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित होगा।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अब्दुल कादिर** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन–पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू संबन्धित प्रभारी निरीक्षक/विवेचक के समक्ष उनकी संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर निम्नांकित शर्तो के अधीन, विवेचना पूर्ण होने तक की अवधि के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी,पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होंगे तथा विवेचना में सहयोग करेगा।
2. यह कि अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,
3. यह कि अभियुक्त, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर विवेचनाधिकारी, अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने हेतु उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

आदेश की प्रति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/विवेचक को अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांक 10.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891